



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :- एफ.49/90-क/जोन-06/2023/1519

दिनांक :- 23/4/23

लोक सूचना

निम्नलिखित आवेदक द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	ख.नं.	भूसं.	क्षेत्रफल (व.ग.)	प्रयोजन	प्रस्तुत दस्तावेज
1.	पार्वती देवी पत्नि भंवरदास	भदवासिया	111/86	36-ए	66.66	आवासीय	रजि. बेचाननामा
2.	ग्यारसीदास पुत्र श्री सुन्दरदास	भदवासिया	111/86	36-बी	66.66	आवासीय	रजि. बेचाननामा
3.	ओम कंवर पत्नि मनोहरसिंह जी	पूजला	341/1	1-ए पूर्वी भाग	85.00	आवासीय	रजि. बेचाननामा
4.	नरसिंह पुत्र श्री दीपसिंह	भदवासिया	109/86	30	136.11	आवासीय	रजि. बेचाननामा
5.	हरीश दैया पुत्र श्री बाबुलाल जी	भदवासिया	82, 83	40	166.66	आवासीय	रजि. बेचाननामा
6.	विनिता सोलंकी पत्नि श्री कमलकिशोर सोलंकी	भदवासिया	82, 83	44	198.33	आवासीय	रजि. बेचाननामा
7.	रामसुख चौधरी पुत्र श्री गोपाराम	भदवासिया	111/86	1	155.55	आवासीय	रजि. बेचाननामा
8.	दलपतसिंह पुत्र श्री पेपसिंह	भदवासिया	82, 83	26 का पश्चिमी भाग	69.67	आवासीय	रजि. बेचाननामा
9.	जगदीश पुत्र श्री लच्छीराम जी	भदवासिया	82, 83	43	138.88	आवासीय	रजि. बेचाननामा
10.	डिम्पल कंवर पत्नि फतेहसिंह	भदवासिया	82, 83	06	138.88	आवासीय	रजि. बेचाननामा
11.	डिम्पल कंवर पत्नि श्री मेघसिंह खीची	भदवासिया	82, 83	47	141.66	आवासीय	रजि. बेचाननामा
12.	पुष्पा कंवर पत्नि करणीसिंह जी	भदवासिया	82, 83	65	70.00	आवासीय	रजि. बेचाननामा
13.	पंकज कंवर पत्नि कमलसिंह	भदवासिया	82, 83	08-ए	147.77	आवासीय	रजि. बेचाननामा
14.	भंवरसिंह पुत्र श्री हरदेवसिंह	जोधपुर	1256/180	ब्लॉक नं. 56 का भाग	406.67	आवासीय	बेचान इकरारनामा
15.	दुर्गा देवी पत्नि श्री कल्याणसिंह	चैनपुरा	01	04	166.66	आवासीय	रजि. बेचाननामा
16.	मंजू भाटी पत्नि नरेन्द्रसिंह भाटी	भदवासिया	76	88	138.88	आवासीय	रजि. बेचाननामा

अतः इस लोक सूचना के जरिये समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी।

नोट :- उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन प्राधिकरण की वेबसाईट पर किया जावेगा।


उपायुक्त (जोन-06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर